

रिपोर्ट पटवारी तहसील चाकूर जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम रामपुरावास की खाता संख्या 28, 85 में प्रार्थी का नाम सीनिया पुत्र रूखनाथ दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम सीनिया पुत्र रूखनाथ दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम रामपुरावास की खाता संख्या 28, 85 में दर्ज नाम सीनिया पुत्र रूखनाथ के बजाय सही इन्द्राज सीनिया पुत्र रूखनाथ दर्ज किया जाना उचित है।

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी

22/6/2023
भू-अभिलेख निरीक्षक शिवप्रसा

कार्यालय तहसीलदार चाकूर जिला जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामपुरावास की जमाबन्दी की खाता संख्या 28, 85 में दर्ज नाम सीनिया पुत्र रूखनाथ के बजाय सही नाम सीनिया पुत्र रूखनाथ दर्ज किया जाना उचित है।

[Signature]
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला

उपखण्ड 10/4/2023
प्रकरण संख्या 1/2023/44 दिनांक 22.06.23
तहसीलदार चाकूर

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार अरमोद चाकूर की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रामपुरावास की जमाबन्दी की खाता संख्या 28, 85 में दर्ज नाम/इन्द्राज सीनिया पुत्र रूखनाथ के बजाय सही नाम/इन्द्राज सीनिया पुत्र रूखनाथ दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार अरमोद चाकूर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्शाने पर प्रावधान करें।

5973
22/6/23

22/6/23
उपखण्ड अधिकारी
चाकूर (जयपुर)